फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर(FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री शकुन्तला — **विपक्षी : श्री किशनलाल**

किस्म मुकदमा – 88,188,63 रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 137/13**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 18.09.2020 पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र के आधार पर पेश हुई। वादी अधिवक्ता ने न्यायालय में बताया कि वह इस वाद विड्रों के जरिये खारिज करवाना चाहते हैं। उन्होनें बताया कि हम वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो गया है। अब उनमें कोई विवाद नहीं हैं। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रतिवादी द्वारा कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया गया हैं। वादी के अधिवक्ता द्वारा वादी के न्यायालय में उपस्थित होने व उनकी पहचान को तस्दीक किया गया। अतः इस पत्रावली को जरिए राजीनामा होने के कारण खारिज (विड्रो) करना उचित प्रतीत होता हैं। अतः पत्रावली को जरिये विड्रों खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। **(रमेश सीरवी पुनाडिया)** **सहायक कलक्टर** **(FT)मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.09.22 13:10:19 IST
Reason: SelfAttested